क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	11.9-19	पत्रावली प्रकाश पत्रावली संख्या 1/4-8 के स्थानीय निरीक्षण की स्थानीयता में अलग निरीक्षण आने पर पैरा इसी वकील वादी अपीलिया है। प्रतिवादी वकील के बार २ अवसर लगाने पर भी प्रगति नहीं आयेगा प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी अपीलिया ने बयान किया कि दावा तस्लीमी का है जिसमें प्रारम्भिक डिक्री किये जाने के बाद तहसील से कृषिगत प्रस्ताव हो गये है जो शामिल पत्रावली है। अन्य कृषिगत रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा राजस्व मंडल के निर्णयानुसार धनाये जाकर निस्तारित कर दी है जो सही है कृषिगत अनुसार दावा वादी डिक्री कर दिया जावे। वकील वादी के कथन पर गौर किया व कृषिगत रिपोर्ट का अवलोकन किया की कृषिगत रिपोर्ट के विरुद्ध किसी ने अपील पेश नहीं की गयी है। अतः दावा वादी प्रारम्भिक कृषिगत रिपोर्ट डिक्री किया जाना उचित प्रतीत है। अतः दावा वादी प्रारम्भिक [illegible] डिक्री किया जाकर वादी [illegible] वंशपरा तहसील कोटपावदा के वादग्रस्त खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

कार्यवाही	आज्ञा विद्युत राज्य से	विशेष विवरण

387 रकबा 0.63 है, 393 रकबा 0.52 है, 394 रकबा 0.41 है, 458 रकबा 0.14 है, 459 रकबा 0.17 है, 477 रकबा 0.08 है, 478/2 रकबा 0.11 है, 487 रकबा 0.08 है, 491 रकबा 0.39 है, किता 9 रकबा 2.53 है. भूमि राधाकिशन पुत्र महादेव साहिब जमी. सह. भू.वि. बैंक लि. जयपुर शाखा चाकसू पुर्वहीन जाति जाट मा. दर्ज है खाते में रहेगी व ख.न. 381 रकबा 0.44 है, 382 रकबा 0.45 है, 384 रकबा 0.14 है, 385 रकबा 0.14 है, 386 रकबा 0.14 है, 389 रकबा 0.15 है, 390 रकबा 0.31 है, 391 रकबा 0.48 है, 392 रकबा 0.68 है, 394/1 रकबा 0.19 है, 456 रकबा 0.32 है, 457 रकबा 0.20 है, 459/1 रकबा 0.11 है, 478 रकबा 0.22 है, 479 रकबा 0.19 है, 486 रकबा 0.25 है, 487/1 रकबा 0.12 है, 488 रकबा 0.24 है, 489 रकबा 0.15 है, 490 रकबा 0.15 है. किता 20 रकबा 5.07 है. भूमि रामनाराम पुत्र मोहनिया हि. 1/6 किसना रहन, बद्री पि. मोहनिया हि. 1/6 साहिब ही जयपुर मे हल्फ व अपीलिय बैंक लि. शाखा चाकसू पुर्वहीन प्रहलाद पि. मोहनिया हि. 1/6 साहिब जमि. सह. भू. वि. बैंक लि. शाखा चाकसू पुर्वहीन रामनाथ पि. भूमिया हि. 1/2 जाति जाट मा. दर्ज है खाते में रहेगी व ख.न. 383 रकबा 0.05 है, 388 रकबा 0.10 है, 479/1 रकबा 0.02 है, 479/1 रकबा 0.02 है. किता 4 रकबा 0.19 है. भूमि ग्रामसभा खाते में रहेगी व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाये नियम अनुसार डिक्री जारी हो [illegible] सभी पूर्वजात ज्यों ज्यों रहेंगे। [illegible] दर्ज किया जावे। प्रमाणपत्र बाद तामीली मामिला दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)